# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**अपील/टी ए/3029/2004/उदयपुर**

1.हीरा लाल पुत्र चतरभुज
2. जगन्नाथ पुत्र हुक्मीचन्द समस्त जाति ब्राहमण निवासी खरतारड तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर

अपीलार्थी

**बनाम**

1.बगत राम पुत्र हुक्मीचन्द

2. माधव लाल पुत्र हुक्मीचन्द जाति ब्राहमण निवासी खरसाड तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बल्लभगनर जिला उदयपुर

**खण्ड पीठ**

**श्री मनोज कुमार नाग सदस्य**
**श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य**

**उपस्थित**
श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस.पी.ओझा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

**निर्णय**

**दिनांकः 3.12.2019**

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 21–6–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी बलभगढ के न्यायालय में प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,188 एवं 53 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। दौराने कार्यवाही अपीलार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

7नियम 11 जाब्ता दीवानी वाद खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9–7–2003 के द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रत्यर्थी वादी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1व2 की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2004 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–7–2003 निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति नहीं है बल्कि अपीलार्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी तथा अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की हुई है जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा, प्रत्यर्थी व अपीलार्थी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। पक्षकारों के मध्य वर्ष 1971में कोई बटवारा नहीं हुआ न ही कोई रास्ता छोडा हुआ है। बल्कि वादग्रस्त आराजी का बटवारा पक्षकारों के मध्य वाद संख्या 194/95 निर्णय दिनांक 1–7–98 द्वारा कर दिया गया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 249 रकबा 10विस्वा में 1/2हिस्सा अपीलार्थी संख्या 1 व 1/6–1/6हिस्सा प्रत्यर्थी व अपीलार्थी संख्या 2 का है। उक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में विधिक भूल की है। उनका तर्क है कि जहां कोई वाद विधि द्वारा वर्जित हो तो न्यायालय उस वाद की पोषनीयता को जबाब दावा पेश करने के पहले भी

तय कर सकता है जैसा कि आर आर डी 1998 पेज 329,648 आर बी जे 1998पेज 170 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद मुख्य रूप से वादग्रस्त आराजी में से रास्ता खुलवाने बाबत है। जिसको सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत या तहसीलदार को होने के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष पोषनीय नहीं था। विचारण न्यायालय ने वाद को विधि द्वारा बाधित होने के कारण सही रूप से खारिज किया है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि पुराने दावे में जिसका निर्णय दिनांक 1–7–98 को हुआ था उसमें आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 10 विस्वा का बटवारा नहीं हुआ था। यह भूमि उस दावे में शामिल नहीं थी। उक्त भूमि का न तो मौके पर बटवारा हुआ है और न ही लगान का बटवारा हुआ है। इस भूमि का काफी हिस्सा पक्षकारों द्वारा अपनी भूमि में आने जाने के काम में लिया जा रहा है। लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का जबाब दावा प्रस्तुत हुये बिना ही दावा खारिज कर दिया। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1986गोहाटी 55, आर आर टी 2009(2) पेज 882, डी एन जे2016(4) राज. पेज 1592, आर आर टी 2004(2) पेज 734, आर आर टी 2010(1)पेज 89, आर बी जे 2003(10)पेज 379 की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वादी ने अपने वाद पत्र कै चरण संख्या 4में यह उल्लेखित किया है कि फरीकैन सन 1971 से आराजी खसरा नम्बर249का आपस में बटवारा किया। उस समय इसी आराजी में से 10 गज रास्ता शामिल में छोडा। इसी प्रकार आगे हीरा लाल के यहां पर 5गज का रास्ता इसी आराजी में से फरीकैन के भोग उपयोग के लिये छोडा,सन1971 से ही हम फरीकैन इसी रास्ते लगातार भोग उपयोग करते चले आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को इस रास्ते की जमीन को अपने अन्दर मिलाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में उठाया है, वह दोनों प्रश्न तथ्य से सम्बन्धित होने के कारण बिना साक्ष्य के उनका विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। जहां ऐसा प्रश्न निहित हो जिसे साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है, ऐसे बिन्दु के आधार पर दावा आदेश7नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जाना चाहिये। प्रतिवादी को अपना लिखित जबाब दावा पेश करना चाहिये था, और अपने जबाब में इस आश की आपति उनके द्वारा ली जा सकती है। अतःउनके द्वारा जो आपति आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र में ली गई है।ऐसी आपति जबाब दावे में लिखे जाने पर न्यायालय द्वारा इस आशय के अन्य वाद बिन्दुओं के साथ वाद बिन्दु बनाया जा सकता है तथा पहले ऐसे वाद बिन्दु का निस्तारण किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त 2016(4) डी एन जे राज. 1592 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि–

Civil P:rocedure Code,1908-O7,R11-Rejection of Plaint-Application rejected-Revision-Plea raised that the suit is barred by resjudicata-Trial Court is directed to frame issue regarding resjudicata and decide it as a preliminary isssue in accordance with laws.

८. वाद पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा व विभाजन का है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह वाद केवल रास्ते के लिये प्रस्तुत किया है। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

९. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य